

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 23/18

सरकार

बनाम श्री : प्यारेलाल पुत्र रामकिशन

जाति जाटव

नि. - नौगाँव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 31-07-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री प्यारेलाल पुत्र श्री रामकिशन जाति जाटव निवासी नौगाँव तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/ खरीफ में ग्राम नौगाँव की राजकीय आराजी खसरा नं. 599 रकबा 0.58 किस्म ग. म. रास्ता भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप से ईधन डाल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.28 का 50 गुना 14.00 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली / फसल नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

तहसील महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/घ को पेज नं०.....पर
वर्ष.....2018 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि तादादी रुपये.....14.00 पेनल्टी
की जमा कायमी की गई।
दिनांक.....31/07/18
तहसील राजस्व लेखपाल